



स्वतन्त्रता के बाद भारत में मानव अधिकार

□ सरोज कुमारी

सार— मानवाधिकार का उदय, विचार के रूप में एक लंबी प्रक्रिया की उपज है। यह एक ऐसा विचार है जिसमें बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों और समय के साथ विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। मानवाधिकार सामान्यता, वे अधिकार हैं जो मानव होने के नाते, प्रत्येक मानव को बिना किसी भेदभाव के जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। भारत में मानव अधिकार आजादी के बाद की यात्रा समय बीतने तथा नये विकास के साथ भारत में अधिकारों की अवधारणा की समीक्षा की गई, जैसे अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पानी का अधिकार, सूचना का अधिकार आदि। भारतीय समाज में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों में कई चुनौतियाँ आई हैं। जैसे पुलिस प्रशासन के संबंध में, झूठे मामले में फंसाना, गैर-कानूनी गिरतारी, हिरासत में मौत, मुठभेड़ में मौत आदि।

इस शोध पत्र में ऐतिहासिक, वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। भारतीय समाज में मानवाधिकारों का सर्वाधिक हनन निर्धन गरीब व्यक्तियों या नारियों के संदर्भ में होता है। पुलिस विभाग को भी मानवाधिकारों के हनन में सर्वाधिक दोषी पाया जाता है। बाल श्रमिकों का नियोजन, बंधुआ मजदूरी की प्रथा, आदिवासियों का शोषण, बड़े बांध, जलाशयों, विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों का विस्थापन आदि मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हैं। मानव अधिकार मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक है। जिसके बिना मनुष्य अपना सम्पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। समाज के हर प्राणी को जीने का अधिकार है तो समाज के हर प्राणी का कर्तव्य भी है कि किसी के जीवन में बाधक नहीं बने। सामान्य अर्थ में इसे आधुनिक मानवाधिकार का प्रारंभिक रूप भी कह सकते हैं। यह मानवाधिकार की मौलिक अवधारणा है। आज मानवाधिकार का जो परिशोधित, परिष्कृत एवं विस्तारवादी सम्प्रत्यय हम देखते हैं उसके जड़ में 'जियो और जीने दो' कि मूल अवधारणा शामिल है।

अध्ययन के उद्देश्य—

व्याख्याता— राजनीति विज्ञान, एसएनडीबी राजकीय महाविद्यालय नोहर (राजस्थान) भारत

1. भारत में आजादी के बाद उभरते मानव अधिकारों का अवलोकन करना।

2. भारत में आजादी के बाद मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों में चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि— प्रस्तुत शोध पत्र विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण पर आधारित है तथा इससे सम्बन्धित तथ्यों का संकलन द्वितीयक स्रोतों के रूप में विभिन्न पुस्तकों पत्र-पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है। साथ ही शोध पत्र में मुख्यतः ऐतिहासिक, वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। लॉस्की के अनुसार "अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है।" 14 अगस्त, 1947 को आजादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा:— "बहुत साल पहले हमने भाग्य के साथ मुलाकात की और अब समय आ गया है कि हम अपना प्रण पूरा करें। मध्यरात्रि में जब पूरी दुनिया सोती है तो भारत जीवन एवं आजादी में अपनी आंखें खोलेगा। इतिहास में विरले ही ऐसा क्षण आता है जब हम

पुराने से नए की तरफ कदम बढ़ाएँ।”

संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तियों एवं सामूहिक रूप से कुछ मौलिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। उन्हें मौलिक अधिकारों के 6 व्यापक श्रेणियों में गारंटी किया गया है जो वादयोग्य हैं। संविधान के भाग ३ में निहित अनुच्छेद 12 से 35 निम्नलिखित हैं:-

1. समानता का अधिकार जिसमें कानून के समक्ष समानता शामिल है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध तथा रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।
2. वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने, बनाने, आवागमन, आवास तथा कोई भी व्यवसाय अथवा पेशा करने का अधिकार।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, सभी प्रकार की जबरन मजदूरी, बाल मजदूरी तथा मनुष्यों के अवैध व्यापार का निषेध।
4. अंतः चेतना की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र व्यवसाय करने एवं धर्म का प्रचार करने का अधिकार।
5. किसी भी वर्ग के नागरिकों की अपनी संस्कृति, भाषा अथवा लिपि की रक्षा का अधिकार तथा अल्पसंख्यकों का अपनी पंसद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने तथा उनका संचालन करने का अधिकार तथा
6. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु एक तंत्र स्थापित करने की दिशा में काम करने हेतु प्रक्रिया शुरू हुई। इसी भावना से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर, 1948 को मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा को अंगीकार किया। उसके बाद इसने अपने सदस्य राष्ट्रों के अनुमोदन एवं कार्यान्वयन के लिए मानव अधिकारों से संबंधित कई प्रसंविदाएँ एवं प्रोटोकाल बनाए हैं। भारत भी इनमें से कई अभिसमयों का एक राज्य पक्षकार है तथा मानव अधिकार सुनिश्चित

करने में अग्रणी है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को सबसे महत्व दिया गया है। ऐसी न्यायिक घोषणाएँ हुई हैं जिन्होंने भारत के संविधान में उपबंधित मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता को बरकरार रखा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानन्द भारती मामले, मिनर्वा मिल्स तथा आई आर कोएलो मामले में कहा कि यद्यपि मौलिक अधिकार सामूहिक रूप से संशोधन से मुक्त नहीं हैं, किन्तु विशेष अधिकार अथवा उसके किसी भाग को आधारभूत विशेषता माना जा सकता है जिसमें भारत के संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए संशोधन नहीं किया जा सकता।

उभरते मानव अधिकार- समय बीतने तथा नये विकास के साथ भारत में अधिकारों की अवधारणा की समीक्षा की गई तथा न्यायपालिका, राज्य एवं गैर राज्य कार्यकर्ताओं द्वारा इसकी नये ढंग से व्याख्या की गई। उदाहरणार्थ जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है तथा यह सर्वाधिक पवित्र एवं संजोया गया अधिकार है। वस्तुतः अनुभव तथा बढ़ती चिंताओं ने अधिकारों की नई पीढ़ियों को न्यायिक उद्घोषणाओं के जरिये मान्यता प्रदान की है। 1978 में मेनका गांधी मामले में निर्णय से पूर्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को केवल कार्यपालिका के कार्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में समझा जाता था जिसे कानून द्वारा समर्थन नहीं प्राप्त था। किन्तु मेनका के मामले ने एक नया आयाम खोला तथा निर्धारित किया कि कानून बनाने पर भी एक सीमा लगाई जाए यथा किसी व्यक्ति को उसके जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट करते समय इसे ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिए जो युक्ति युक्त, निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न फैसलों में यह कहा है कि अनुच्छेद 21 में दिये गये जीवन के अधिकार का अर्थ महज निर्वाह अथवा पार्श्विक अस्तित्व नहीं है। अदालत ने अपने विभिन्न निर्णयों द्वारा जीवन के अधिकार के भाग के रूप में व्यापक

अधिकारों का उल्लेख किया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

1. बंधुआ मजदूरी अथवा मजदूरी की अनुचित दशाओं के अधीन नहीं करने का किसी व्यक्ति का अधिकार।
2. रिहाई के पश्चात् बंधुआ मजदूर के पुनर्वास का अधिकार।
3. प्रत्येक रोगी को तत्काल चिकित्सा सहायता देकर इस बात की परवाह किये बिना कि वह निर्दोष है अथवा दोषी है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए राज्य के ऊपर दायित्व।
4. घायल व्यक्ति की जान बचाने के पश्चात् दंड कानून अपना काम करता है।
5. जामित व्यक्ति की अदा करने की क्षमता तथा साधनों के भीतर उचित जीवन बीमा निगम का अधिकार।
6. अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार।
7. स्वतंत्रतापूर्वक आवागमन करने तथा साथियों के साथ मिलने जुलने का अधिकार जिसका यदि सीबीआई को प्रथम दृष्टया मामले के बिना किसी अपराध की जांच का निर्देश दिया जाता है तो उल्लंघन होगा।
8. भोजन का अधिकार।
9. पानी का अधिकार।
10. शिक्षा का अधिकार।
11. किसी कैदी के ऊपर इसे लागू किये जाने पर इसमें जीवन की आवश्यकताओं यथा पर्याप्त पोषण, वस्त्र, आवास, पठन लेखन हेतु सुविधा, जेल के विनियमों के अनुसार उसके परिवार के सदस्यों तथा दोस्तों के साथ मिलने जैसे अधिकार शामिल हैं।
12. प्रतिष्ठा का अधिकार।
13. शालीनता तथा समुचित गरिमा के साथ महिलाओं से पेश आने का अधिकार।
14. मुकदमों का शीघ्र विचारण का अधिकार।
15. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। स हिरासतीय हिंसा के विरुद्ध अधिकार।

16. कुपोषण से मुक्ति का अधिकार। सूचना का अधिकार।

17. रंजीत सिंह, ब्रह्मजीत सिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी कि लिंग अन्याय, प्रदूषण, पर्यावरण का ह्रास, कुपोषण, दलितों का सामाजिक बहिष्कार मानव अधिकार के उल्लंघन के अलग-अलग स्वरूप है। मासूमियत की परिकल्पना एक मानव अधिकार है। इसलिए यह देखा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता एक ऐसे राष्ट्रीय माहौल का निर्माण करने में उत्प्रेरक रहा है जिसमें मानवीय अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहन मिला है जिससे कि उनका सम्मान हो सके तथा उन्हें आम आदमी के मानव अधिकारों का हिस्सा बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को निर्धारित किया गया है जो देश के शासन में मूलभूत हैं तथा राज्य का यह दायित्व होगा कि वह कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करें। अदालतों ने यह विचार व्यक्त किया है कि ये निर्देशक सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में मौलिक अधिकारों को पूरा करते हैं। इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता तथा ये एक-दूसरे के पूरक हैं।

चुनौतियाँ— भारत का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक ढांचा तथा इसके औपनिवेशिक अतीत के कारण भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयासों में कई चुनौतियाँ आई हैं। भारत में मानव अधिकार उल्लंघन के अधिकांश मामलों को निम्नवत् रखा जा सकता है।

1. पुलिस प्रशासन के संबंध में
2. कार्यवाही करने में असफलता
3. गैर कानूनी निरोध
4. झूठे मामले में फंसाना
5. हिरासतीय हिंसा
6. गैर कानूनी गिरतारी
7. अन्य पुलिस ज्यादाती
8. हिरासत में मौत
9. मुठभेड़ में मौत

10. कैदियों का उत्पीड़न, कैदियों की स्थिति
 11. अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार
 12. बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी
 13. बाल विवाह
 14. साम्प्रदायिक हिंसा
 15. दहेज हत्या अथवा इसका प्रयास, दहेज की मांग
 16. अपहरण, बलात्कार तथा हत्या
 17. महिलाओं का यौन शोषण तथा अपमान
 18. महिलाओं का शोषण
 19. अशक्त व्यक्तियों के प्रति भेदभाव
 20. एच आई वी/एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव
 21. यौन कामगारों के प्रति भेदभाव आदि ऊपर दी गई जानकारी व्यापक नहीं है बल्कि उदाहरण मात्र है। यद्यपि मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रति बढ़ती चिंता के कारण मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बना जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मानव अधिकार न्यायालय के गठन का उपलब्ध किया गया। इस प्रकार 12 अक्टूबर, 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया। आयोग के कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार हैं।
आयोग को, व्यापक शासनादेश प्राप्त है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में वर्णित इसके कार्य हैं:-
1. मानव अधिकारों के 1. उल्लंघन या दुष्प्रेरण या 2. इस प्रकार के उल्लंघन को रोकने में लोक सेवक द्वारा की गई उपेक्षा, की स्वतः या पीड़ित व्यक्ति या उसकी तरफ से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर या किसी न्यायालय के निर्देश या आदेश पर, जांच करना।
 2. किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित, मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी भी कार्यवाई में, उस न्यायालय की अनुमति से, अन्तःक्षेप करना।

3. मौजूदा समय में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी जेल या अन्य संस्थान, जहां पर व्यक्तियों को उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए रखा जाता है, में कैद व्यक्तियों की जीवन-यापन की स्थिति का अध्ययन करने और तत्पश्चात् सरकार को सिफारिश करने के लिए, जेल या संस्थान का दौरा करना।
4. मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, संविधान या मौजूदा समय में लागू किसी कानून के तहत उपबन्धित सुरक्षोपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सिफारिश करना।
5. आंतकवाद सहित अन्य कारकों, जिनसे मानव अधिकारों के उपभोग में बाधा पहुंचती है, की पुनरीक्षा करना और उचित उपचारात्मक उपाय सुझाना।
6. मानव अधिकार संबंधी समझौतों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना। स मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बे जाने वाले ऐसे अन्य कार्य करना।
तदनुसार आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहा है तथा इसने मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधित लाखों शिकायतों का निपटारा किया है। इसके अतिरिक्त आयोग संगोष्ठियों, विभिन्न समूहों के लिए प्रशिक्षण, संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित कर मानव अधिकारों के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार सर्माथक के अधिकारों की भी रक्षा करता है तथा कॉरपोरेट जगत द्वारा किये गए मानव अधिकार के उल्लंघन की रक्षा करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 10 अक्टूबर, 2010 को अंगीकार किये गए एडिनवर्ग घोषणा पत्र का हिस्सा था जिसमें विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों ने इस बात पर सक्रिय रूप में विचार करने का संकल्प किया कि पेरिस सिद्धांतों के तहत उनके अधिदेश को किस प्रकार लागू किया जा सकता है अथवा जहां आवश्यक हो इसे सुदृढ़ किया जाए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अतिरिक्त 20 राज्य मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आदि की भी स्थापना की गई। यह सभी देश में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए काम कर रहे हैं।

भारत मानव अधिकारों के लिए प्रशांत मंच का भी एक सदस्य है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का एशिया प्रशांत मंच, एशिया प्रशांत में अग्रणी क्षेत्रीय मानव अधिकार संस्थान है। 1996 में स्थापित एशिया प्रशांत मंच एक सदस्य आधारित संगठन है जो क्षेत्र में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के गठन एवं उन्हें मजबूत करने का समर्थन करता है।

निष्कर्ष- लास्की ने सही कहा था कि "अधिकार सामाजिक जीवन की वैसी स्थिति है जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपने सर्वोत्तम व्यक्तित्व की चाह नहीं कर सकता"। भारत में मानव अधिकार के शासन में समय बीतने के साथ बढ़ोतरी हुई है। जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने सर्वोच्च व्यक्तित्व के लिए सर्वोत्तम परिवेश का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग आदि जैसी कार्यकारी, वैधानिक, न्यायपालिका, स्वायत्तशासी संगठनों ने एक ऐसे सामाजिक ढांचे के निर्माण की दिशा में सहायता दी है जिसमें सभी के

मानव अधिकार सुरक्षित किये जा सकें। निःसंदेह कई चुनौतियाँ हैं किन्तु सभी के संगठित प्रयासों से उनका मुकाबला किया जा सकता है।

मौजूदा सामाजिक ढांचे में मानव जाति की तरक्की वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकासों से सुनिश्चित नहीं होगी बल्कि आम आदमी के मानव अधिकारों को हासिल करने में हुई सफलता से होगी। हमें विश्वास है कि भारत एक ऐसे सिविल समाज का सपना अवश्य पूरा करेगा जिसमें सभी के अधिकारों के लिए सम्मान तथा सबके लिए खुशी होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, एच.ओ. : मानव अधिकार, सेन्द्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2012.
2. जोशी, आर.पी. : मानव अधिकार एवं कर्तव्य, अभिनव प्रकाशन, अजमेर, 2005.
3. पराशर, अनिल कुमार : मानव अधिकार: नई दिशाएँ, वार्षिक अंक-9, 2012.
4. बीसवाल, तमन : मानवअधिकार, जेन्डर एवं पर्यावरण, विकास बुक्स प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2008.
5. यादव,डी,एस : भारत में मानव अधिकार, आस्था प्रकाशन, जयपुर, 2012.
6. शर्मा,जी,एल. : सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012.